राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 66/2012/जयपुर.
2. अपील संख्या –68/2012/जयपुर.

मैसर्स पी.एच.आई. सीड्स लिमिटेड,
जी–842, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ई, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 70 व 69/अपील्स–तृतीय/11–12/ई में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 13.10.2011 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

2. अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ई, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2003–04 एवं 2004–05 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रमशः रूपये 24,55,780/– व रूपये 49,17,100/– का मस्टर्ड सीड्स स्वयं व किसानों से जरिये एग्रीमेंट उत्पादित करना बताते हुए राज्य के बाहर अपने मुख्यालय को स्टॉक ट्रांसफर करना दर्शाया गया। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से उक्त मस्टर्ड सीड्स स्वयं द्वारा उत्पादित अथवा किसानों से जरिये एग्रीमेंट उत्पादित किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध करवाने हेतु पूछा जाने पर व्यवहारी द्वारा कुछ दस्तावेज (लीज एग्रीमेंट) पेश किये गये, किन्तु उक्त दस्तावेज राज्य के पंजीयन कार्यालय से पंजीबद्ध अथवा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित नहीं होने तथा दिनांक 01.10.2004 को अर्थात् आलौच्य अवधि के मध्य में निष्पादित होने से कर

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों को अंस्वीकार करते हुए व्यवहारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर की गई मस्टर्ड सीड्स को राज्य के अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किया जाना अवधारित करते हुए 4 प्रतिशत की दर से क्रय कर एवं तद्नुसार ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर ये द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा विवादित माल स्वयं की कृषि भूमि में एवं किसानों से लीज एग्रीमेंट निष्पादित किया जाकर उत्पादित किया गया है एवं अपने मुख्यालय को प्रोसेसिंग हेतु स्टॉक ट्रांसफर के तहत भिजवाया गया है। किसी प्रकार की अपंजीकृत खरीद नहीं की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लीज एग्रीमेंट से सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें बिना किसी आधार के अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं के कृषि उत्पाद को अपंजीकृत खरीद मानते हुए तद्नुसार कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि विवादित माल व्यवहारी द्वारा स्वयं की कृषि भूमि से उत्पन्न किया गया हो अथवा किसानों से तैयार करवाया गया हो। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जो लीज एग्रीमेंट प्रस्तुत किये गये हैं, वे ना तो उप—पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध हैं एवं ना ही नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाये गये हैं ऐसी स्थिति में अपंजीकृत दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों को अस्वीकार करते हुए विवादित माल की अपंजीकृत खरीद मानते हुए तद्नुसार करारोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

6. हस्तगत प्रकरणों में विवाद का बिन्दु केवलमात्र यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो माल अपने मुख्यालय को स्टॉक ट्रांसफर के तहत भिजवाया जाना बताया गया है, वह स्वयं द्वारा अपनी कृषि भूमि में उत्पादित किया गया है या किसानों से जरिये एग्रीमेंट तैयार करवाया गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कुछ एग्रीमेंट की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं, किन्तु उक्त प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वे प्रतियां ना तो सम्बन्धित उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध करवायी गयी हैं एवं ना ही नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हैं। इस प्रकार उक्त दस्तावेज किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा स्वयं की कृषि भूमि में विवादित माल उत्पादित होने सम्बन्धी भी कोई साक्ष्य ना तो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, एवं ना ही अपीलीय अधिकारी व कर बोर्ड के समक्ष। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित माल को अपंजीकृत खरीद अवधारित करते हुए तद्नुसार कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 13.10.2011 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष